

न्यायालय जिला कलक्टर, डीडवाना-कुचामन
पीठासीन अधिकारी- डॉ. गहेन्द्र खड़गावत, आई.ए.एस.

अपील संख्या- 18/2023
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2023/32

अपीलान्ट

कल्याणमल चौधरी पुत्र रुघाराम जाति
जाट निवासी जाब्दीनगर तहसील
नावां जिला डीडवाना-कुचामन।

बनाम

रेस्पोंडेन्ट

1. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
(निर्माण), उत्तर-पश्चिम रेल्वे,
जयपुर।
2. प्राधिकृत अधिकारी (भूमि
अवाप्ति) एवं उपखण्ड
अधिकारी नावां।

आवेदन अन्तर्गत धारा 20 (एफ)(6) रेल्वे अधिनियम विरुद्ध प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पारित अवाई
दिनांक 20.01.2022 हेतु।

:-निर्णय:-

दिनांक : 20.01.2026

अपीलान्ट की ओर से पेश अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि:- केन्द्रीय सरकार ने रेल्वे अधिनियम 1989 के तहत राजस्थान राज्य के पुराने नागौर जिले तथा वर्तमान डीडवाना-कुचामन जिले में "उत्तर पश्चिम रेल्वे जोधपुर मण्डल के गुढ़ा एवं ठठाना मिठड़ी स्टेशनों के मध्य चल स्टॉक एवं आधारभूत कम्पोनेट टेस्टिंग व ट्रायल के लिये डेडिकेटेड रेल लाईन के निर्माण" की विशेष रेल परियोजना के लिये भूमि अधिग्रहण कार्य हेतु रेल्वे अधिनियम 1989 की धारा 2 के खण्ड (7 क) के द्वारा उपखण्ड अधिकारी नावां को अधिसूचना दिनांक 31.12.2019 के सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति अधिकारी) के रूप में प्राधिकृत किया गया है। रेल्वे अधिनियम 1989 की धारा 20 क के अन्तर्गत जोधपुर मण्डल के गुढ़ा एवं ठठाना मिठड़ी, स्टेशनों के मध्य चल स्टॉक एवं आधारभूत कम्पोनेट टेस्टिंग व ट्रायल के लिये डेडिकेटेड रेल लाईन के निर्माण की विशेष रेल परियोजना के लिये भूमि अधिग्रहण हेतु भारत सरकार के राजपत्र में दिनांक 09.06.2020 को अधिसूचना जारी की गई। जिसे स्थानीय दैनिक समाचार पत्र, दैनिक भास्कर व राजस्थान पत्रिका में दिनांक 13.06.2020 को प्रकाशन करवाकर हितकारक व हर आम खास को अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के भीतर आपत्तियां आमंत्रित की गईं। जिस पर उक्त निर्धारित समयावधि में कुल 33 आपत्तियां प्रस्तुत हुईं। उक्त आपत्तियों में समुचित सुनवाई नहीं करके समस्त आपत्तियों को खारिज कर दिया। प्रार्थीगण की नमक उत्पादक ईकाई की व्यवसायिक भूमि है जो वाके जाब्दीनगर में




जिला कलक्टर
डीडवाना-कुचामन

स्थित है। उक्त भूमि से भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा प्रार्थी की मौजा जाब्दीनगर तहसील नावां में से खसरा नम्बर 693 रकबा 2.0650 हैक्टेयर में से 0.5799 हैक्टेयर भूमि अवाप्त की गई। प्रार्थीगण की उक्त औद्योगिक ईकाई के मुआवजे की राशि का विधिनुसार निर्धारण नहीं किया।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि धारा 20(च)(6)(7) संशोधित रेल्वे अधिनियम 1989 व धारा 26 मध्यस्था एवं सुलह अधिनियम 1996 के अधिकारों का उपयोग करते हुये प्रार्थीगण की अवाप्त की गई भूमि व इस अवाप्ति के कारण उनके व्यवसाय को पहुची क्षति व उन्हें स्थान/निवास स्थान व अन्य व्यवसाय करने पर होनी वाली असुविधा को ध्यान में रखते हुये मुआवजा की राशि तय करके प्रार्थी को मय 18 प्रतिशत ब्याज सहित भूमि अवाप्ति की दिनांक से दिलवाये जावें व अन्य अनुतोष लाभार्थी प्रार्थी को दिलवाये जावें।

प्रकरण में कार्यालय हाजा के पत्रांक कोर्ट/2025/285 दिनांक 22.07.2025 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, नावां से रिपोर्ट ली गई। उपखण्ड अधिकारी, नावां के पत्रांक भूमि अवाप्ति/2025/641 दिनांक 15.12.2025 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। उपखण्ड अधिकारी की रिपोर्ट अनुसार मौके पर किसी भी प्रकार की कोई औद्योगिक ईकाई/वाणिज्यिक ईकाई स्थापित नहीं है ना ही भूमि की किस्म औद्योगिक एवं वाणिज्यिक है। भूमि का मुआवजा सभी दस्तावेजों एवं उपलब्ध मौका रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया है। मौके पर क्यार/खारड़ा एवं किस्म लवण क्षेत्र होने से लवण क्षेत्र की डीएलसी दर से मुआवजा दिया गया है। भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा अर्बोर्ड की गणना नियमानुसार संयुक्त सर्वे करवाकर की गयी है जो कि न्यायोचित है। कृषि भूमि की डीएलसी दर एवं लवण क्षेत्र की डीएलसी दर में लगभग दो से तीन गुणा का अन्तर है। उक्त खसरे की लवण/खारड़ा/क्यार निर्माण होने के कारण मुआवजा लवण क्षेत्र की डीएलसी दर से किया गया है न की कृषि भूमि की डीएलसी दरों के आधार पर तय किया गया है। प्रार्थी को मुआवजा राशि का भुगतान किया जा चुका एवं मुआवजे का निर्धारण नियमानुसार किया गया है जो की न्यायोचित एवं न्यायसंगत है। प्रार्थी द्वारा वर्णित समस्त तथ्य निराधार है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र उपयुक्त वर्णित समस्त तथ्यों के अनुसार भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा नियमानुसार ही मुआवजा निर्धारण कर अर्बोर्ड जारी किये जाने के कारण प्रार्थी को अर्बोर्ड एवं संशोधित अर्बोर्ड अनुसार समय

पर मुआवजा भुगतान, भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया अपनाई गई हैं।



जिला कलक्टर
झंझाना-कुचामन

बहस पत्रावली सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। उपखण्ड अधिकारी नावां द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा नियमानुसार भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया अपनाई जाकर ही मुआवजा निर्धारण कर अवार्ड जारी किये गये। प्रार्थी को अवार्ड एवं संशोधित अवार्ड अनुसार समय पर मुआवजा भुगतान किया गया था। भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा अवार्ड की गणना नियमानुसार संयुक्त सर्वे करवाकर की गयी है जो कि न्यायोचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 20.01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।



M. Suman
जिला कलक्टर 20-01-2026
(डॉ. सुब्रह्मण्य स्वामी, IAS)
जिला कलक्टर
डीडवाना-कुचामन